ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट सं0– 01, सैक्टर – के0पी0–04, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।
फोन नं0 – 0120–2326136
फैक्स नं0 – 0120–2321511
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक: /का0आ0/अ0मु0का0अ0/NCLT/2022–23, ग्रे0नौ0: दिनांक:– ~~ /अप्रैल/2022~~ 02/05/2022

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 126वीं बोर्ड के मद संख्या 126/17 में प्राधिकरण के मा0 NCLT से सम्बन्धित विभिन्न स्तरो पर पृथक–पृथक विभागों के 28 विचाराधीन प्रकरणों की आख्या मा0 संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। उपरोक्त विचाराधीन प्रकरणों में श्रेणीवार निम्नवत् कार्यवाही विभागों द्वारा की जानी है–

- **Resolution plan approved by NCLT Court (7 प्रकरण)**– ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें Resolution plan मा0 NCLT द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, परन्तु प्रकरण में प्राधिकरण की देयताऐं सम्बन्धित भूखण्ड के सापेक्ष लम्बित है, के सम्बन्ध में विभाग के द्वारा अब तक कोई जवाब दाखिल किया गया अथवा नही। यदि नही किया गया है तो सम्बन्धित विभाग का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

  यदि मा0 न्यायालय में जवाब दाखिल किया जा चुका है, तो प्राधिकरण के हित में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर अपील दाखिल की जाए।

- **Resolution plan approved by COC but Not approved by NCLT (10 प्रकरण)**– यदि प्रकरण से सम्बन्धित IRP द्वारा प्राधिकरण को Secured Finance Creditor नही माना गया है अथवा प्राधिकरण का स्टेटस स्पष्ट नही किया जा रहा है तो तत्काल NCLT कोर्ट में अपील दाखिल की जाए।

  यदि प्राधिकरण की देयताओं को प्राप्त किये जाने के उददेश्य से अपील दाखिल नही की गई है तो प्राधिकरण को रही वित्तीय क्षति के लिए सम्बन्धित परिसम्पत्ति विभाग उक्त वित्तीय क्षति के लिए उत्तरदायी होगे।

  उपरोक्त के अतिरिक्त CIRP की प्रकिया आरम्भ होने की दिनांक से विभिन्न मदों में देय प्राधिकरण की देयताओं के सम्बन्ध में IRP को पुनः ई–मेल/पत्राचार के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह ई–मेल भेजे।

  पत्राचार के उपरान्त भी यदि CIRP की प्रकिया आरम्भ होने की दिनांक से वर्तमान तक सम्बन्धित IRP द्वारा लम्बित देयताओं पर कोई कार्यवाही नही की गई है, तो तत्काल उपरोक्त सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णनेन्दू दत्ता से विधि विभाग के माध्यम से विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। यदि उपरोक्त कार्यवाही में कोई विलम्ब किया जाता है, तो विभाग उत्तरदायी होगें। Specify which विभाग

  समस्त परिसम्पत्ति विभागाध्यक्ष अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में IRP से इन्फोरमेशन मेमोरेन्डम की प्रति तत्काल प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

- **Resolution plan yet to be approved (7 प्रकरण)**– यदि सम्बन्धित IRP द्वारा प्राधिकरण को Secured Finance Creditor नही माना गया है तो तत्काल NCLT कोर्ट में अपील दाखिल की जाए।

  यदि प्राधिकरण की देयताओं को प्राप्त किये जाने के उददेश्य से अपील दाखिल नही की गई है तो प्राधिकरण को रही वित्तीय क्षति के लिए सम्बन्धित सम्पत्ति विभाग उत्तरदायी होगें।

  उपरोक्त के अतिरिक्त CIRP की प्रकिया आरम्भ होने की दिनांक से विभिन्न मदों में देय प्राधिकरण की देयताओं के सम्बन्ध में IRP को ई–मेल/पत्राचार के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह ई–मेल भेजे। यदि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के द्वारा यह कार्यवाही नही की जा रही है तो और प्राधिकरण को यदि कोई वित्तीय क्षति होती है तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगे।

  पत्राचार के उपरान्त भी यदि CIRP की प्रकिया आरम्भ होने की दिनांक से वर्तमान तक सम्बन्धित IRP द्वारा लम्बित देयताओं पर कोई कार्यवाही नही की गई है, तो तत्काल उपरोक्त सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णनेन्दू दत्ता से विधि विभाग के माध्यम से विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। यदि उपरोक्त कार्यवाही में कोई विलम्ब किया जाता है, तो विभाग उत्तरदायी होगें। which dept! (law or property)

(1/3)

समस्त परिसम्पत्ति विभागाध्यक्ष अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में IRP से इन्फोरमेशन मेमोरेन्डम की प्रति तत्काल प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

- **Companies into liquidation (3 प्रकरण)**– ऐसे प्रकरण, जिनमें देयताऐं लम्बित हो एवं IRP के द्वारा CIRP प्रकिया में कम्पनी liquidation में जा रही हो, ऐसे प्रकरणो में भी विभाग द्वारा अपील दाखिल की गई अथवा नही। यदि मा0 न्यायालय में कोई अपील दाखिल नही की गई है तो वित्तीय क्षति के लिए सम्बन्धित विभाग उत्तरदायी होगें। तत्काल ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार, मा0 उच्चतम न्यायालय से समन्वय स्थापित कर मा0 उच्चतम न्यायलय में अपील दाखिल करें।

इन्फोरमेशन मेमोरेन्डम से यह सूचना प्राप्त की जाये कि सम्बन्धित कम्पनी के कितनी देनदारियॉ लम्बित है। यदि उक्त कम्पनी पर प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों/कम्पनी/संस्थाओं इत्यादि की देनदारियॉ कम हो तो उसी कम में प्राधिकरण के द्वारा अपनी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा एन0सी0एल0टी0 प्रकरणों के निस्तारण एवं वित्तीय हानि को रोकने हेतु निर्धारित निम्नवत कार्ययोजना का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:–

1. सम्बन्धित परिसम्पत्ति विभागाध्यक्ष द्वारा समस्त प्रकरणों में इस बिन्दु की समीक्षा की जाए कि सम्बन्धित भूखण्ड के सापेक्ष आवंटी के द्वारा वर्तमान तक देय धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि जमा की गई है, ताकि अग्रिम समीक्षा की जा सकें। साथ ही ऐसे समस्त आवंटन जिनमें पिछले 03 छमाही किश्तों की कोई भी धनराशि आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष प्राप्त नही हुई है। समस्त परिसम्पत्तियों की लीजडीड में नियमानुसार भुगतान एवं अन्य कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में निरस्तीकरण की शर्तें निर्धारित है, ऐसे समस्त आवंटनों को तत्काल सम्बन्धित अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के माध्यम से 15 दिन में निरस्तीकरण की कायवाही करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के समक्ष रखे। अतिदेयताऐं होने के उपरान्त भी सम्बन्धित विभाग के द्वारा उक्त कार्यवाही नही की जा रही है, तो होने वाली वित्तीय क्षति के लिए सम्बन्धित विभाग उत्तरदायी होगें।

2. प्राधिकरण के ऐसे समस्त आवंटन जिनमें पिछले 03 छमाही किश्तों की कोई भी धनराशि आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष प्राप्त नही हुई है, किन्तु मा0 न्यायालय में स्टे अथवा अन्य कार्यवाही में लम्बित है तो विधि विभाग के साथ समन्वय कर यह देखे कि स्टे की प्रकृति क्या है ? एवं सम्बन्धित परिसम्पत्ति विभाग के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से विधि विभाग को स्टे हटाये जाने एवं प्रकरण के तत्काल निरतारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें। सम्बन्धित अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार के प्रकरणों को रिब्यू करेंगें। यदि उक्त कार्यवाही नही की जा रही है तो होने वाली वित्तीय क्षति के लिए सम्बन्धित विभाग उत्तरदायी होगे।

3. प्रत्येक विभाग अपने से सम्बन्धित प्रकरणों का IRP से सम्पर्क कर Information Memorandum की प्रति प्राप्त करेगे, ताकि यह जानकारी प्राप्त हो सकें कि प्राधिकरण के अतिरिक्त और किन–किन संस्थाओं/फर्म/व्यक्तियों/कम्पनियों की कितनी–कितनी देनदारियॉ हैं ताकि तदानुसार कार्यवाही की जा सके।

4. विधि विभाग को निर्देश दिये गये है कि सभी प्रकरणों में वरिष्ठ एवं इस क्षेत्र के अत्यधिक भिज्ञ अधिवक्ताओं के माध्यम से पैरवी करना सुनिश्चित करें। मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक में भी 02–03 NCLT के क्षेत्र से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विधिक पैरवी किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में विधि विभाग द्वारा श्री कृष्णनेन्दु दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पी नागेश, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता को आबद्ध किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त 02 और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं लीगल एडवाईजर रखे जाने की कार्यवाही की जाए।

5. यदि किसी भी प्रकरण में सम्बन्धित IRP को देयताओं एवं प्राधिकरण के स्टेटस के सम्बन्ध में पत्राचार के उपरान्त भी IRP द्वारा प्राधिकरण के वित्तीय हितों की उपेक्षा की जा रही है, तो तत्काल विधि विभाग से सम्पर्क कर मा0 NCLT कोर्ट में अपील दाखिल करने की कार्यवाही की जाए।

6. प्रत्येक परिसम्पत्ति विभाग अपने अपने प्रकरणों से सम्बन्धित कार्ययोजना बनाकर अपने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के माध्यम से गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। समिति के द्वारा Information Memorandum, प्राधिकरण का मा0 NCLT में स्टेटस, प्राधिकरण के क्लैम्स एवं क्लैम्स के सापेक्ष प्राप्ति इत्यादि को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही करते हुए समिति की संस्तुति मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। साथ ही प्रत्येक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित परिसम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करेंगे।

7. आगामी बोर्ड बैठक से समस्त परिसम्पत्ति विभागों से उनके सम्बन्धित प्रकरणों के प्रस्ताव/कार्ययोजना एवं विधिक कार्यवाही को प्रत्येक बोर्ड बैठक में संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा परिसम्पत्ति विभागों को डिफाल्टर आवंटियों के भूखण्ड निरस्तीकरण का भी परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

8. विधि विभाग द्वारा सम्बन्धित परिसम्पत्ति विभागों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में विभागों को यह अवगत करायेंगें कि प्रस्तुत प्रकरण में क्या चल रहा है एवं प्राधिकरण के हित में क्या किया जाना चाहिए। विधि विभाग द्वारा विभिन्न NCLT कोर्ट की कॉज लिस्ट का प्रतिदिन यदि अवलोकन नही किया जा रहा है तो प्राधिकरण को होने वाली वित्तीय क्षति के लिए विधि विभाग को उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। विधि विभाग प्रतिदिन NCLT कोर्ट की वेबसाइट पर जारी Cause List का परीक्षण करेंगा एवं विभागवार विभागों को कोई प्रकरण संज्ञानित होने पर अवगत करायेंगा।

9. भविष्य में निकाली जा रही योजनाओं में भूखण्डों के सापेक्ष शत् प्रतिशत प्रीमियम प्राप्त किये जाने की योजना बनायी जाए, ताकि वित्तीय क्षति से प्राधिकरण को बचाया जा सकें।

10. प्राधिकरण के हितों की संरक्षण हेतु समस्त योजनाओं में प्राधिकरण का प्रथम चार्ज ROC में रजिस्टर कराये जाने का प्राविद्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरणों में जारी बंधक अनुमति को निरस्त किया जाए एवं डिफॉल्टर आवंटियों को सम्पूर्ण धनराशि जमा न हो जाने तक बंधक अनुमति जारी न किया जाए।

11. परिसम्पत्ति विभागों के द्वारा निरस्तीकरण के उपरान्त रिफण्ड की कार्यवाही नियमानुसार कर दी गई है, का तत्काल परियोजना विभाग भौतिक कब्जा प्राप्त करेगी एवं इस सम्बन्ध में लिखित सूचना सम्बन्धित विभाग एवं सिस्टम को प्राप्त करायी जाए।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(अमनदीप डुली)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:–

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ। **FTS-31120**
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए0एस0/डी0) को सूचनार्थ। **FTS-31121/31122**
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ( ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप महाप्रबन्धक (सिस्टम) को, प्राधिकरण की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु। **FTS-31131**
5. गार्ड फाईल। **FTS-31132**

OSD(B)-31124
OSD(IT)-31126
OSD(INS)-31127
OSD(COMM)-31128
DGM(INS)-31129

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी